"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 731 ] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2025 — भाद्र 26, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक 3398/21–ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1867–1868/21–ब/छ.ग./2025 दिनांक 30–04–2025 को अधिक्रमित करते हुए नोटरी नियम 1956 के नियम–4 के उपनियम–1 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में नोटरी अधिनियम तथा नियम में प्रावधानित नोटरी नियुक्ति, शिकायतों की जांच एवं अन्य प्रावधानित समस्त कार्यों हेतु श्री राहुल कुमार, उप सचिव, विधि को ''समक्ष प्राधिकारी'' अभिहित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भूपेन्द्र कुमार वासनीकर**, अतिरिक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.